FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0124 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/05/2026 21:44 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 08/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 08/05/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:29 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/05/2026 **Time (समय):** 20:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/05/2026 21:44:37 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** POLICE THANA DATWAS JILA TONK

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** THANDI LAL MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KAILASHCHAND MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2002 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	BHAGWATPURA, NIWAI, DATWAS, TONK, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHAGWATPURA, NIWAI, DATWAS, TONK, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	GANESH NARAYAN JAT		पिता:RANG LAL JAT	1. PIPALA,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))**
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 06.05.2026 को श्री ज्ञान प्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर पूर्व से सामने बैठे हुए व्यक्ति का परिवादी श्री ठण्डीलाल मीना के रूप में परिचय करवाते हुये उसके द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर मन उप अधीक्षक पुलिस के नाम पृष्ठांकित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द किया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी व उसके द्वारा पेश किये गये प्रार्थना-पत्र को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा अपना परिचय देकर परिवादी से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अपना नाम श्री ठण्डीलाल मीना पुत्र श्री कैलाश चन्द मीना उम्र 24 साल निवासी भगवतपुरा तहसील निवाई पुलिस थाना दतवास जिला टोंक मोबाईल नम्बर होना बताया। परिवादी श्री ठण्डी लाल मीना द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीया विषयः- रिश्वत मांगने पर कारवाई करने हेतु, महोदय निवेदन है कि मैं ठण्डी लाल मीना निवासी भगवतपुरा तहसिल निवाई जिला टोंक का रहने वाला हूं। पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक मे व मेरे तीन दोस्तो के खिलाफ मारपीट का मुकदमा नं0 50/2026 दर्ज हुआ था जिसकी तपतिस ASI गणेश नारायण चैधरी कर रहे है जिसका चालान कोर्ट में हो गया। इस मुकदम में मुझे व तीन दोस्तो को गणेश नारायण चैधरी ASI ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के दौरान हमारे चारो के मोबाईल रख लिये। चालान होने के बाद में मैने व मेरे दोस्तो ने ASI गणेश नारायण चैधरी से मोबाईल मांगे तो गणेश नारायण ASI ने मेरे से 25,000/- रूपये की रिश्वत मांग की मैं ASI को रिस्वत देना नही चाहता हूं। मेरा SAMSUNG कम्पनी का मोबाईल जिसमें JIO कम्पनी की सिम लगी हुई जिसका मोबाईल नं0 यह है मेरे गणेश नारायण चैधरी ASI से कोई रंजिश व पूर्व पैसो की लेनदेन नही है। एसडी ठंडी ठण्डी लाल मीना S/O कैलाश चन्द मीना ग्राम-भगवतपुरा तह. निवाई थाना-दत्तवास जि. टोंक मो0 भाई के मो. तत्पश्चात परिवादी ने दरियाफ्त पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं जयपुर में रहकर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूं। मैं श्री गणेश नारायण चैधरी एएसआई को मेरे व मेरे तीन दोस्तो के विरूद्ध मारपीट के दर्ज प्रकरण के बाद ही जानने लगा था। उससे पहले मेरा गणेश नारायण जी कोई सम्पर्क नही था और ना ही मेरा किसी प्रकार को लेन-देन था। गणेश नारायण जी ने मेरे व मेरे तीनो दोस्तो की गिरफ्तारी के दौरान हमारे मोबाईल रख लिये थे, जिस पर मैंने प्रकरण में चालान होने के बाद हमारे चारो के मोबाईल लेने गया तो उन्होने कहा कि मेरा प्रकरण में भी खर्चा हो गया था। इसलिए मैं आपके चारो के मोबाईल 25,000/- रूपये देने के बाद ही दूंगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः श्री गणेश नारायण चैधरी द्वारा परिवादी से की जा रही रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे में पूछने पर परिवादी श्री ठंडी लाल मीना ने कहा कि मैं आज ही एएसआई गणेश नारायण जी से मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री हवा सिंह हैड कानि0 नं0 09, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री ठंडी लाल मीना व हैड कानि0 का आपस में परिचय करवाया जाकर श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि0 99 से कार्यालय के मालखाने से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर व Consistent MicroSD 32GB नया मैमोरी कार्ड मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री ठंडी लाल मीना को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू व बंद करने की प्रक्रिया को समझाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री ठंडी लाल मीना ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं गणेश नारायण जी की पुलिस थाना दत्तवास की मौजुदगी के बारे में जरिये फोन वार्ता करूंगा, जिस पर परिवादी द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से गणेश नारायण जी के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर उनकी पुलिस थाना दत्तवास पर मौजुदगी के सम्बंध में वार्ता कर बताया कि उन्होने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। जिस पर श्री हवासिंह हैड कानि. को परिवादी श्री ठंडी लाल मीना के साथ विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। समय 8.50 पीएम पर श्री हवासिंह हैड कानि0 ने जरिये फोन अवगत कराया कि सत्यापन के दौरान संदिग्ध गणेशनारायण एएसआई ने परिवादी ठण्डी लाल मीना से उसके प्रकरण के सम्बंध में विस्तृत

वार्ता कर प्रकरण में अपने हुए खर्चे के बारे में बताया और 25 हजार रूपये की रिश्वत के रूप में मांग की है, इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से वार्ता की तो हैड कानि0 द्वारा बताये गये कथनो की ताईद हुई। दिनांक 07.05.2026 को हवासिंह हैड कानि0 ने मन् टीएलओ को बंद किया हुआ विभागीय डिजीटल वाईस रिका ॅर्डर सुपुर्द कर पुर्व में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान बताये गये तथ्यो पुनः बताकर कहा कि मैं परिवादी के साथ रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आया। परिवादी को दिनांक 07.05.2026 को ब्युरो कार्यालय में आने की कहा तो परिवादी ने कहा कि मुझे कल सीकर जाकर स्कुटी देने के लिए जाना है। इसलिए मैं कल नही आकर दिनांक 08.05.2026 को ब्यूरो कार्यालय आउंगा। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस ने विभागीय डिजीटल वाईस रिका ॅर्डर को चलाकर सरसरी तौर पर सुना तो परिवादी व हैड कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यो ताईद हुए। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिका ॅर्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मेरे कार्यालय की अलमारी में सुरखित रखा गया। आईन्दा परिवादी के आने पर नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 08.05.2026 को कार्यालय हाजा के श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि0 को पूर्व में पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहन को ब्युरो कार्यालय में तलब करने व ट्रेप बा ॅक्स तैयार करने के सम्बंध में निर्देशित किया गया। समय 11.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष परिवादी श्री ठंडी लाल मीना उपस्थित हुआ और दिनांक 06.05.2026 को संदिग्ध श्री गणेश नारायण चैधरी एएसआई से हुई वार्ता के बारे में बताकर कहा कि दिनांक 07.05.26 को मेरे पास गणेश नारायण जी मिस का ॅल आया था जिसमें वो मुझे बुला रहे थे तब मैने उनको उनको सीकर होना बताया था। तत्पश्चात् मैंने रात को गणेश नारायण जी से पुनः फोन से बात की तो उन्होने मुझे आज आने के लिए कहा है व बताया कि एएसआई साहब को दी जाने रिश्वती राशि के 25 हजार रूपये लेकर आया हूं। कुछ समय पश्चात दो स्वतंत्र गवाहन उपस्थित आये, जिनसे मन् टीएलओ ने नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री मोहन लाल पुत्र स्व. श्री मोतीलाल, जाति बैरवा, उम्र 42 साल, निवासी डी-23, फेज-3, झालाना डूंगरी, जयुपर, पुलिस थाना गांधीनगर हाल वरिष्ठ सहायक, राजस्थान स्टेट रोड़ डवलपमेन्ट कार्पोरेशन, जयपुर मोबाईल नम्बर व दूसरे ने अपना नाम श्री विजय सिंह पुत्र स्व.श्री गोविन्द सिहं जाति राजपूत, उम्र 42 साल, निवासी 139, शिव विहार-डी, लालरपुरा, गांधीपथ वेस्ट, वैशालीनगर, जयपुर पुलिस थाना करणी विहार हाल कनिष्ठ सहायक, राजस्थान स्टेट रोड़ डवलपमेन्ट कार्पोरेशन, जयपुर मोबाईल नम्बर होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहन से गोपनीय कार्यवाही में सम्मलित होने की सहमति चाही गई तो दोनों ने पृथक-पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहन व परिवादी का आपस में परिचय करवाकर जाकर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को स्वतंत्र गवाहान से पढवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान से प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये और अब तक की गई रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही से अवगत करवाया गया तथा अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 1.15 पीएम पर दर्ज रहे कि मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री मोहनलाल व श्री विजय सिंह के समक्ष परिवादी श्री ठण्डी लाल मीना को संदिग्ध एएसआई को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया, जिस पर परिवादी श्री ठण्डी लाल मीना ने अपने पास से 500-500 रूपये के 50 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 25,000/-रूपये निकालकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, उक्त नोटों का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट कुल 50 नोट राशि 25,000/-रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी श्री ठण्डीलाल मीना के समक्ष कार्यालय के श्री विशाल बाछल, वरिष्ठ सहायक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर से एचएम कार्यालय की आलमारी में से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर टेबल पर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर लगवाया तथा परिवादी श्री ठण्डी लाल मीना की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मोहन लाल से लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त नोट सीधे ही श्री विशाल बाछल, वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री ठण्डी लाल मीना की पहनी हुई पेंट की दांयी जैब में रखवाये जाकर हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध एएसआई द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवें तथा संदिग्ध एएसआई द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर मिस का ॅल कर मुझे व टे ॅप पार्टी को ईशारा करें एवं रिश्वत राशि को कहां रखता है यह भी ध्यान रखें एवं साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री ठण्डी लाल मीना को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाने पर घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री विशाल बाछल जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुएगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात श्री विशाल बाछल से गुलाबी घोल

को बाहर फिकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास तथा उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री विशाल बाछल से फिनोल्पथलीन पाउडर के डिब्बे को वापस कार्यालय की आलमारी में रखवाकर उसके हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे़ गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयों को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त एवं नये डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास एवं चम्मच ट्रेप बाॅक्स में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध एएसआई से होने वाली बातचीत को रिकाॅर्ड करने के लिए विभागीय डिजीटल वाईस रिकाॅर्डर मय एक नया मैमोरी कार्ड Consistent MicroSD 32GB श्री प्रदीप कुमार कानि. नं0 245 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.15 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 व श्री कपिल कुमार कानि0 377 को जरिये सरकारी मोटरसाईकिल आरजे 60 आरएस 1542 को रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस, श्री हरिभजन सउनि, श्री हवासिंह हैड कानि0 नं0 09, श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि0 नं0 99, श्रीमती पिंकी कंवर म0 कानि0 नं0 11, श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 मय परिवादी श्री ठंडी लाल मीना व दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री मोहनलाल व श्री विजय सिंह को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन मिनी बस ट्रेवलर आरजे 14 पीई 8775 मय चालक श्री बिरजुलाल कानि0 नं0 368 मय लेपटाॅप, प्रिन्टर, विडियो कैमरा, ट्रेप बाॅक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के गोपनीय कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय जयपुर से रवाना हुये। समय 3.45 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहन, परिवादी व समस्त ट्रेप टीम के दत्तवास कस्बे से पुर्व कैथुन लालसोट रोड़, दतवास मोड़ के पास पहुंचे, जहां पर पूर्व से मौजुद श्री प्रदीप कुमार कानि0 व श्री कपिल कुमार कानि0 भी मौजुद है। वाहनो सड़क किनारे पर खड़ा करवाए जाकर परिवादी की फोन पर संदिग्ध एएसआई से वार्ता करवाई गई तो एएसआई ने परिवादी को थाना के बाहर आने के लिए कहा। इसके कुछ समय बाद श्री प्रदीप कुमार कानि. व श्री हवासिंह हैड कानि. को परिवादी के साथ सरकारी मोटरसाईकिल पर दत्तवास पुलिस थाना की ओर रवाना किया गया तथा पिछे-पिछे मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम भी सरकारी बस से रवाना हुऐ। समय 04.07 पीएम पर श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 द्वारा परिवादी श्री ठंडी लाल मीना को दत्तवास कस्बे के बाजार से करीब 400 मीटर पहले वाॅइस रिकाॅर्डर चालू कर संदिग्ध एएसआई के पास पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक में रिश्वत लेन-देन हेतु पैदल रवाना किया गया और श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 व श्री हवा सिंह हैड कानि. 09 को सरकारी मोटरसाईकिल से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना किया। सरकारी वाहन बस मय चालक को दत्तवास कस्बे के बाजार से करीब 400 मीटर पहले खडा कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम, दोनों स्वतंत्र गवाहान के साथ पैदल-पैदल रवाना होकर पुलिस थाना दत्तवास के आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाकर मुकीम हुये तथा परिवादी थाने के बाहर ई-मित्र की दुकान के पास खडा था, जिसके निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। कुछ समय पश्चात पुलिस थाना दत्तवास के मुख्य गेट से एक व्यक्ति सिविल कपडो में बाहर आकर ज्यूस की दुकान पर खडे परिवादी के पास आकर बातचीत करने लगा और समय करीब 04.29 पीएम पर परिवादी के पास खडा व्यक्ति थाने की तरफ चलकर रवाना हुआ तभी परिवादी ने अपने सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी टीम एवं स्वतंत्र गवाहान के पुलिस थाना दत्तवास के मेन गेट के बाहर पहुंचे जहां पर परिवादी द्वारा ईशारे से बताये गये संदिग्ध व्यक्ति को काबू किया गया तथा परिवादी ने वाॅईस रिकाॅर्डर मन् टीएलओ को सुपुर्द किया, जो बंद था और परिवादी ने बताया कि इसको मैंने बंद कर दिया था। इसके पश्चात परिवादी ने काबू में किये हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये एएसआई साहब है, जिन्होंने अभी मेरे से 25,000/-रूपये लेकर अपनी पेंट की पीछे की दांहिनी जेब में रखकर पुलिस थाना दत्तवास की ओर रवाना हो गये थे। इसके पश्चात मन टीएलओ मय काबू किये हुये एएसआई, परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम को साथ लेकर पुलिस थाना दत्तवास में प्रवेश किया और पुलिस थाने में उपस्थित इंचार्ज से मौखिक सहमति लेकर स्वागत कक्ष में आगामी कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी से प्राप्त वाॅईस रिकाॅर्डर को सरसरी तौर पर चालू कर सुना गया तो उसमें आज दिनांक को हुई संदिग्ध वार्ताए रिकाॅर्ड होना पाई गई। काबू किये हुये एएसआई से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री गणेश नारायण जाट पुत्र श्री रंगलाल जाट, उम्र-50 साल, निवासी-गांव-पीपला, पुलिस थाना-माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण हाल एएसआई पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक बताया। आरोपी से परिवादी से लिये गये रूपयों के बारे में पूछा तो उसने रूपये अपनी पेंट की पीछे की दांहिनी जेब में होना बताया, जिनको स्वतंत्र गवाहान श्री विजय सिंह से निकलवाकर गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के कुल 50 नोट कुल राशि 25,000/रूपये हुई। इसके पश्चात संदिग्ध श्री गणेश नारायण जाट एएसआई से परिवादी से लिये गये रूपयों के बारे में पूछा तो एएसआई ने बताया कि इसके व इसके तीन साथी बत्तीलाल मीना, शिखरचंद मीना व मदनलाल मीना के खिलाफ पुलिस थाना दत्तवास में मुकदमा नम्बर 50/2026 दर्ज हुआ था, जो इनके ही गांव के सीताराम मीना से मारपीट करने का था। मुकदमा दर्ज होने के बाद में इन चारों को 170 बीएनएसएस 2023 में गिरफ्तार कर निवाई तहसीलदार के पेश किया था, जहां से इनकी जमानत हो गई थी। इस दौरान इन चारों के मोबाईल फोन लेकर साईबर अपराध संबंधी निरीक्षण के लिए पुलिस थाने के

श्री मिठालाल कानि0 को दिये थे, जिसने निरीक्षण कर मुझे बताया कि इन मोबाईलों में साईबर अपराध संबंधी कोई डाटा नहीं है। जिस पर मैंने चारों मोबाईल फोन मीठालाल को अपने पास ही रखने के लिये कहा था। मैंने मुकदमे में अनुसंधान कर दिनांक 23.04.2026 को मैंने चालान पेश कर दिया था तथा इसको मोबाईल लौटाने के लिये बुलाया था, मैंने इससे कोई रूपयो की मांग नहीं की, जिस पर परिवादी श्री ठंडी लाल मीना ने एएसआई की बात को खण्डन करते हुये बताया कि मेरे व मेरे तीन अन्य साथियों के विरूद्ध पुलिस थाना दत्तवास में दर्ज मुकदमा के अनुसंधान हेतु बुलाकर हमारे मोबाईल ले लिये और गिरफ्तार कर दूसरे दिन तहसील निवाई से हमारी जमानत हुई थी, इन्होंने मेरे व मेरे साथियों के चार मोबाईल भी थाने में रख लिये थे। दिनांक 23.04.2026 को मेरे मुकदमें में चालान पेश होने के बाद में जब मैं मेरा मोबाईल लेने आया तो एएसआई साहब ने मेरे को बताया कि मैंने तुम्हारे खिलाफ दर्ज मुकदमे में तुम्हारी मदद की है तथा इसमें मेरे 25,000/रूपये खर्च हुये है तथा तुम्हारे मोबाईल भी मेरे पास है। एएसआई ने मेरे कहा कि मेरा खर्चा दे जाना व तुम्हारे मोबाईल ले जाना। इसके बाद दिनांक 06.05.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान भी इन्होंने मेरे से 25000/रूपये की मांग की थी। आज मैं थाने के बाहर आकर इनको कॉल किया जिसके कुछ समय पश्चात ये मेरे पास पुलिस थाने के बाहर ई-मित्र की दुकान पर आये तथा इन्होंने मेरे से 25,000/-रूपये लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की दांहिनी जेब में डाल लिये। इसके पश्चात आरोपी श्री गणेश नारायण जाट एएसआई के दोनो हाथों के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपी के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री गणेश नारायण जाट एएसआई के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री गणेश नारायण जाट एएसआई एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमेला होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री गणेश नारायण एएसआई की पहनी हुई पेंट जिसके पीछे की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई का धोवन लिया जाना है, जिस पर दूसरी पेंट का इंतजाम कर आरोपी की पहनी हुई पेंट बदलवाकर, रिश्वत राशि बरामद हुई पेंट के जेब का धोवन हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक नया पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलास में एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तदुपरान्त रिश्वत राशि बरामद की गई पेंट की पीछे की दाहिनी जेब को उल्टा कर तैयारशुदा घोल में डुबोकर धोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क P-1 व P-2 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेंट को सुखाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को शील्डमोहर कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री विजय सिंह के पास रखवाई गई रिश्वत राशि को पुनः गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 50 नोट कुल राशि 25,000/-रूपये होना पाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहन से उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने हुबहु होना पाए गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है- क्र.सं. राशि नोट नम्बर 1. पांच सौ रूपये का एक नोट 5PT 337325 2. पांच सौ रूपये का एक नोट 4LR 070644 3. पांच सौ रूपये का एक नोट 7TF 921186 4. पांच सौ रूपये का एक नोट 9SC 420558 5. पांच सौ रूपये का एक नोट 9GR 355409 6. पांच सौ रूपये का एक नोट 3QK 379528 7. पांच सौ रूपये का एक नोट 1HR 392511 8. पांच सौ रूपये का एक नोट 6RC 706108 9. पांच सौ रूपये का एक नोट 4EG 963445 10. पांच सौ रूपये का एक नोट 9GH 717526 11. पांच सौ रूपये का एक नोट 4QA 176714 12. पांच सौ रूपये का एक नोट 5FA 373311 13. पांच सौ रूपये का एक नोट 9GN 547777 14. पांच सौ रूपये का एक नोट 1EQ 171297 15. पांच सौ रूपये का एक नोट 1CL 220772 16. पांच सौ रूपये का एक नोट 1EU 268648 17. पांच सौ रूपये का एक नोट 9CB 716628 18. पांच सौ रूपये का एक नोट 6CK 052153 19. पांच सौ रूपये का एक नोट 8EC 815900 20. पांच सौ रूपये का एक नोट 3CW 881711 21. पांच सौ रूपये का एक नोट 3CW 881710 22. पांच सौ रूपये का एक नोट 5FM 293655

23. पांच सौ रूपये का एक नोट 5SL 973945 24. पांच सौ रूपये का एक नोट 1FA 048020 25. पांच सौ रूपये का एक नोट 2BW 234460 26. पांच सौ रूपये का एक नोट 1FR 884561 27. पांच सौ रूपये का एक नोट 3TW 016347 28. पांच सौ रूपये का एक नोट 3FC 064903 29. पांच सौ रूपये का एक नोट 6DF 639953 30. पांच सौ रूपये का एक नोट 2SK 784469 31. पांच सौ रूपये का एक नोट 9DG 026004 32. पांच सौ रूपये का एक नोट 5LU 449025 33. पांच सौ रूपये का एक नोट 9AU 198373 34. पांच सौ रूपये का एक नोट 0CC 257629 35. पांच सौ रूपये का एक नोट 9TM 033423 36. पांच सौ रूपये का एक नोट 9KP 881351 37. पांच सौ रूपये का एक नोट 0HQ 775732 38. पांच सौ रूपये का एक नोट 1AE 165153 39. पांच सौ रूपये का एक नोट 1TK 074401 40. पांच सौ रूपये का एक नोट 9EW 420281 41. पांच सौ रूपये का एक नोट 7UC 415023 42. पांच सौ रूपये का एक नोट 5CQ 105936 43. पांच सौ रूपये का एक नोट 2AT 286963 44. पांच सौ रूपये का एक नोट 5PS 217781 45. पांच सौ रूपये का एक नोट 9HS 020389 46. पांच सौ रूपये का एक नोट 8AH 207979 47. पांच सौ रूपये का एक नोट 1KS 209065 48. पांच सौ रूपये का एक नोट 6VN 459440 49. पांच सौ रूपये का एक नोट 5FM 404546 50. पांच सौ रूपये का एक नोट 5DR 792179 उक्त सभी नोटो को एक तरफ से सफेद कागज में लपेटकर शील्ड मोहर कर मार्क M अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गये। मन् टीएलओ द्वारा आरोपी श्री गणेश नारायण जाट एएसआई को परिवादी के मोबईल के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि उक्त मोबाईल फोन हमारे थाने के कानि0 नं0 775 श्री मीठालाल के पास रखवाये हुये है, जिस पर थाना पर उपस्थित मीठालाल कानि0 को बुलाकर परिवादी के मोबाईल फोन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं पुलिस थाना दत्तवास में साईबर का कार्य देखता हूं, करीब 20-25 दिन पहले ठंडी लाल व इसके तीन साथियों को गणेश नारायण एएसआई ने धारा 170 बीएनएसएस 2023 में गिरफ्तार किया था, उस समय एएसआई साहब के कहने पर मैंने इसके व इसके तीनों साथियों के चार मोबाईल फोन लेकर उनके किसी संदिग्ध बैंक खातों के लेन-देन व साईबर अपराध संबंधी डाटा का निरीक्षण किया था तो मोबाईलों में कोई संदिग्ध डेटा नहीं मिले, जिसकी जानकारी मैंने एएसआई साहब को दे दी थी तो एएसआई साहब ने मुझे उक्त मोबाईलों को बक्शें में रखने के लिये कहा तो मैंने उक्त मोबाईलों को अपने बक्शें में रखकर जरूरत होने पर मोबाइ्रलों को बक्से में से लेने के लिए बता दिया था। इसके पश्चात मैं अवकाश पर पर चला गया तथा आज ही अवकाश से वापस आया हूं। मैं दिनांक 19.04.2026 से 30.04.2026 तक तथा दिनांक 01.05.2026 से 07.05.2026 तक अवकाश पर रहा। कानि0 मीठालाल से परिवादी ठंडी लाल मीना का मोबाईल मंगवाया गया, जिसकी पृथक से फर्द निरीक्षण तैयार की गई। अब तक की गई ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री गणेश नारायण जाट एएसआई द्वारा अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री ठंडी लाल मीना के विरूद्ध थाना दत्तवास में दर्ज प्रकरण संख्या 50/2026 में मदद करने व उसका व उसके तीन साथियो के मोबाईल लौटाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 06.05.2026 के दौरान आरोपी श्री गणेश नारायण जाट एएसआई द्वारा परिवादी पर दबाव बनाकर 25000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 08.05.2026 को परिवादी से 25,000/-रूपये लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखे जो आरोपी के पहनी हुई पेंट की पीछे की दाहिनी जेब से बरामद होना पाया गया। आरोपी श्री गणेश नारायण जाट का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। आरोपी श्री गणेश नारायण जाट एएसआई, पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में दिनांक 06.05.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 08.05.2026 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी श्री गणेश नारायण जाट एएसआई ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। तदुपरान्त परिवादी श्री ठंडी लाल मीना व अन्य के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 50/2026 की पत्रावली के बारे में आरोपी श्री गणेश नारायण जाट एएसआई से पूछा तो आरोपी ने बताया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय में चालान पेश कर दिया, उक्त पत्रावली की सत्यापित प्रति थाना इंचार्ज को पत्र जारी कर प्राप्त की गई। आरोपी के कब्जे से में लिये जा रहे मोबाईल फोन वीवो टी2एक्स 5जी, रंग गोल्डन, मॉडल वी-2312, जिसमें जीओ कंपनी की सिम नम्बर लगी हुई है तथा मोबाईल के पासवर्ड 0606 है, जिसको अनुसंधान के प्रयोजनार्थ कब्जा एसीबी लिया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री गणेश नारायण जाट एएसआई के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री गणेश नारायण जाट पुत्र श्री रंगलाल जाट, उम्र-50 साल, निवासी-गांव-पीपला, पुलिस थाना-माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण हाल एएसआई पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक को हस्बकायदा जरिये फर्द पृथ्क से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के घटनास्थल पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक के बाहर का नक्शा मौका तैयार किया गया। विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं व रिश्वत लेन-देन वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आर्टिकल्स को सीलमोहर करने में एसीबी जयपुर की ब्रास सील काम में ली गई जिसका नमूना फर्द पर अंकित किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं व रिश्वत लेन-देन वार्ताओं की फर्द

ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की गई। रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ताओं को एक ही मैमोरी कार्ड Consistent MicroSD 32GB में कॉपी कर चार मैमारी कार्ड Consistent MicroSD 32GB तैयार कर मार्क क्रमशः A,B,C,D अंकित किया। जिनमें से मैमोरी कार्ड मार्क A (कंट्रोल सैम्पल मालखाना हेतु) को पृथक से सफेद कपड़े की थैली में शील्ड किया गया तथा मार्क B (एडीपी हेतु), मार्क C (आरोपी हेतु) तथा मार्क D (अनुसंधान के प्रयोजनार्थ) को खुला रखा गया। इसी प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन हेतु काम में लिया गया मैमोरी कार्ड Consistent MicroSD 32GB तथा रिश्वत लेन-देन हेतु काम में लिया गया मैमोरी कार्ड Consistent MicroSD 32GB को पृथक-पृथक माचिस की डिब्बीयों में रखकर दोनो पर मार्का क्रमशः A-1 व A-2 अंकित किया गया। इसके पश्चात दोनो पैकेटो को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क क्रमशः MC अंकित किया गया। नमूना शील फर्द पर अंकित की गई। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री गणेश नारायण जाट पुत्र श्री रंगलाल जाट, उम्र-50 साल, निवासी-गांव-पीपला, पुलिस थाना-माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक के विरूद्ध अन्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर प्रकरण उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (सुरेश कुमार स्वामी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर.........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गणेश नारायण जाट पुत्र श्री रंगलाल जाट, उम्र-50 साल, निवासी-गांव पीपला, पुलिस थाना-माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण हाल एएसआई पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रामजीरामजी लाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 790 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 780-83 दिनांक 10.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टोंक 2- पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर आयुक्तालय 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAMJI LAL **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/05/2026 21:47:54

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)